न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2019/00285 (144/2019) दायरा दिनांक : 11.09.2019

उनवान

कल्लू उर्फ मोहम्मद आबिद पुत्र काले खां, जाति मुसलमान, निवासी टीचर कॉलोनी, हनुमान मंदिर के पास, छबडा, तहसील छबडा, जिला बारां (राज0)

.... अपीलांट

बनाम

1– मोहनलाल पुत्र पांचूलाल, जाति चमार, निवासी गोडियामेहर, तहसील छबडा, जिला बारां (राज0)
2– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : श्री महेन्द्र कुमार जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री चन्द्र प्रकाश खण्डेलवाल अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 17.12.2024

ये अपील उपखण्ड अधिकारी छबडा के प्रकरण संख्या – 123/2014 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.07.2019 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 89, 90, 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि कस्बा छबडा तहसील छबडा जिला बारां में खसरा नं. 141 रकबा 1.02 बीघा आराजी मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2070–73 के अनुसार दर्ज रेकार्ड है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.07.2019 से वादी का वाद स्वीकार कर दिया जिससे अप्रसन्न होकर प्रतिवादी अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कतई ध्यान नहीं दिया कि रेस्पोडेंट क्रम 1 वादी ने उक्त वाद धारा 88, 89, 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत पेश किया है। अगर वादी/रेस्पो0 विवादित आराजी पर काबिज था तो केवल मात्र 188 आर.टी.एक्ट के तहत ही वाद प्रस्तुत करना था परंतु धारा 183 आर.टी.एक्ट बेदखली व धारा 88, 89 घोषणा का वाद किस आधार पर प्रस्तुत किया गया। इस बाबत् अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान न देकर कानूनी त्रुटि की है अस्तु निर्णय एवं डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया कि वादी/रेस्पो. वाद पत्र की प्रार्थना की मद नम्बर ब में सरकारी भूमि पर भी प्रार्थना चाही है परंतु इस बाबत् अपने निर्णय में कोई विश्लेषण नहीं किया है अस्तु निर्णय/डिक्री अधीनस्थ न्यायालय त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्य एवं तनकीयात का सही तरह से विश्लेषण नहीं किया है तथा अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात को भी नहीं पढ़ा है और निर्णय में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत न करना गलत इंगित किया है इसलिए

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

भी निर्णय एवं डिक्री निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि मौके पर पैमाइश कराकर अगर वादी/रेस्पो. कम 1 की आराजी स्थित होना पाया जाता तो वाद डिक्री किया जाना न्यायोचित था परंतु निर्णय में पैमाइश का आदेश देकर डिक्री करने कानूनी त्रुटि की है। मौके पर खसरा नं. 141 की कोई आराजी काश्त योग्य नहीं रही है बल्कि खातेदार रेस्पो. नं. 1 ने प्लॉट काटकर विक्रय कर दी है जहां मकानात बने हुए है परंतु इस साक्ष्य पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कोई ध्यान न देकर निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय/ डिक्री दिनांक 17.07.2019 निरस्त फरमाया जाकर उक्त तथ्यों पर सही निर्णय हेतु पत्रावली रिमाण्ड करने के आदेश प्रदान करे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ आर्डर 41 नियम 27 व्यवहार प्रकिया संहिता का प्रार्थना पत्र पेश किया, पेश किये गये दस्तावेज राजकीय दस्तावेज होने के कारण रेकार्ड पर लिये जाने हेतु लिखित बहस पेश कर कथन किया कि माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में अपील संख्या 55/1983 निर्णय दिनांक 20.02.1988 को अपीलांट को चून्या आत्मज माधोलाल जाति कबाडी निवासी छबडा ने लिखकर माननीय न्यायालय में दिया है कि जमीन पर चून्या का कब्जा नही है बल्कि कब्जा मोहम्मद आबिद उर्फ कल्लू का है दिनांक 17.08.1983 को लिखकर दे रखा है। अपील मेमो में भी खसरा नं. 140 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा का वर्णन है। नक्शा खसरा नं. 140 जिसपर कब्जा कल्लू उर्फ मोहम्मद आबिद का है जिसे हरे रंग से दर्शाया गया है और खसरा नं. 141 को पीले रंग से दर्शाया गया है। नकल खसरा गिरदावरी जिसमें सेटलमेंट की गलती से चून्या पुत्र माधोलाल कबाडी का नाम खसरा नं. 140 की 3 बीघा 12 बिस्वा पर दर्ज हो रहा है और उसके द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल कोटा में स्पष्ट लिख कर दे रखा है कि सेटलमेंट वालों ने मेरे खाते (चून्या) के खाते गलत दर्ज कर दी है वास्तव में ये जमीन पर कालेखां अपीलांट की है। एफ.आई.आर. नं. 134/14 पुलिस थाना छबडा जो मोहम्मद आबिद उर्फ कल्लू खा ने मोहनलाल, लटूरलाल, राजमल, गिरिराज व छोटू के विरूद्ध धारा 420 आई.पी.सी. में दर्ज की उस पर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छबडा जिला बारां द्वारा दिनांक 21–12–2016 को प्रसंज्ञान में लिया गया। अतः उक्त दस्तावेज प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 एवं धारा 151 सीपीसी के अन्तर्गत अतिरिक्त साक्ष्य स्वीकार फरमाये जाने की आज्ञा बक्शी जावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । अभिभाषकगण की उभयपक्षीय बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा मौखिक बहस के साथ लिखित बहस भी प्रस्तुत की, अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेंट द्वारा Imposter डिक्री प्राप्त की गयी है इसका कारण यह है कि इसी से संबंधित एक अपील माननीय न्यायालय हाजा में जैरकार है जिसका उनवान मोहम्मद आबिद उर्फ कल्लू बनाम लटूर, मोहनलाल वगैरहा है जिसका विवरण रेस्पोडेंट द्वारा कही नहीं दिया गया।

उक्त प्रकरण में मुख्य मुद्दा खसरा नं. 140 एवं 141 के बीच है। अधीनस्थ न्यायालय में जो रेस्पोडेंट द्वारा वाद पेश किया गया वह खसरा नं. 141 रकबा 1.02 बीघा का पेश किया, मौके पर खसरा नं. 141 की कोई आराजी काश्त योग्य नहीं है

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बल्कि खातेदार रेस्पोडेंट नं. 1 ने प्लॉट काट–काटकर विक्रय कर दी जहां मकानात बने हुए है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। रेस्पोडेंट नं. 1 जो धनबल, भुजबल में बहुत ताकतवर है और चूंकि लालसा के चरम शिखर पर पहुंच कर 141 की आड़ में खसरा नं. 140 की जमीन पर कब्जा करके प्लाट काटने के चक्कर में है। खसरा नं. 140 की जो जमीन है वह 3 बीघा 12 बिस्वा जमीन है और उक्त जमीन पर कल्लू उर्फ मोहम्मद आबिद पुत्र कालेखां का कब्जा सम्वत 2074 में दर्ज हो रहा है। सोयाबीन की फसल है।

उक्त प्रकरण में जो अपीलांट (प्रतिवादी) की तनकी नं. 3 – आया कि कस्बा छबडा खसरा नं. 140 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा आराजी सेटलमेंट के पूर्व प्रतिवादी अपीलांट के खाते एवं कब्जेकाश्त की थी जिसपर आज भी कब्जा बना हुआ है। तनकी नं. 4 – आया कि वादी रेस्पोडेंट का वाद खारिज होने योग्य है।

उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा अपील संख्या 55/1983 निर्णय दिनांक 22.02.1988 के निर्णय की कॉपी पेश की जिसका उनवान मोहम्मद आबिद उर्फ कल्लू खां बनाम चून्या में स्वयं रेस्पोडेंट चून्या ने यह स्वीकार किया कि उक्त आराजी पर कालेखां का ही कब्जा रहा है। भूमि अपीलांट के पिता कालेखां के नाम दर्ज की जावे। अपील मेमो में स्वयं रेस्पोडेंट ने राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय कोटा के समक्ष यह लिख कर दे रखा है कि उक्त खसरा नं. 140 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा वाके माल छबडा जो सेटलमेंट ने मेरे (चून्या) के खाते गलत बांधी है वह कालेखां अपीलांट के खाते बांधी जाकर रेवेन्यू रेकार्ड में अपीलांट का नाम अंकित कर दुरूस्ती की जावे। यह खातेदार चून्या की दिनांक 17.08.1983 की स्वीकारोक्ति लिखित में है। नक्शे में खसरा नं. 140 एवं खसरा नं. 141 की भूमि दर्शायी गयी है यहां खसरा नं. 141 में श्री रामनगर 1 कॉलोनी बनाकर प्लाट काटकर मकान बना लिये गये अब बदनियति आने से अपीलांट के कब्जे की 140 खसरा नं. की भूमि जो 3 बीघा 12 बिस्वा है। उसपर धनबल, भुजबल से मुकदमा 141 का करके Imposter डिक्री प्राप्त करके कब्जा किये जाने की कोशिशें की जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि मोहनलाल अब खसरा नं. 140 की 3 बीघा 12 बिस्वा आराजी का दावा नहीं कर सकता क्योंकि उक्त आराजी पर अपीलांट के पिता कालेखां और उसके बाद मोहम्मद आबिद उर्फ कल्लू का कब्जा चला आ रहा है। क्योंकि इसमें मियाद का बिन्दु निहित है। (आरआरडी 1995 पेज 463)

अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी द्वारा अपने एवं अपने गवाहान के बयान करवाये इसमें अतिरिक्त सम्पूर्ण ठोस प्रमाण पेश किये लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रदर्श नहीं होने दिया गया। खसरा नं. 141 की जमीन पर प्लॉट काटकर कॉलोनी बना दी Imposter डिक्री का आदेश इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी पर किसी प्रकार की बाधा उत्पन नहीं करे वहां पर रामनगर–। पर पूरे मकान बने हुए है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छबडा जिला बारां मोहम्मद आबिद उर्फ कल्लू खां ने एफ.आई.आर. नं. 134/14 पुलिस थाना छबडा दर्ज हुआ मुलजिम 1– मोहनलाल, 2– लटूरलाल, 3– राजमल, 4 गिरिराज, 5– छोटू के विरूद्ध धारा 420 आई.पी.सी. का प्रसज्ञांन न्यायालय द्वारा लिया गया। जिसमें पेज नं. 5 में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छबडा ने प्रथम दृष्टया यह मानते हुए प्रसंज्ञान लिया कि उक्त पांचो ने खसरा नं. 140, 141 , 142 व 145 पर अवैध रूप से श्री रामनगर नाम की कॉलोनी को काट कर परिवादी व राज्य सरकार के साथ व

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

खरीददारों के साथ धन प्राप्त करने के उद्देश्य से धोखाधडी की है अतः धारा 420 आई.पी.सी. के तहत् प्रसंज्ञान लिये जाने के पर्याप्त आधार है।

अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 17.07.2019 पारदर्शिता पर आधारित नहीं है। सही तथ्य, प्रमाण और कानूनसम्मत निर्णय पारित करने में त्रुटि की है इसलिये अधीनस्थ न्यायायलय का निर्णय निरस्त फरमाया जाने की आज्ञा बक्शी जावे एवं रिमाण्ड किये जाने की आज्ञा बक्शी जाकर साथ में मुस्तकील बिन्दु से पैमाईश करवाये जाने की आज्ञा बक्शी जाये।

अभिभाषक रेस्पोडेंट द्वारा लिखित बहस पेश कर कथन किया गया कि वाद में वर्णित आराजी खसरा नम्बर–141 की रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा रेस्पोडेन्ट क्रम–1/वादी मोहनलाल के खाते में दर्ज है जिसके संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय ने जमाबंदी सम्वत् 2070 लगायत–2073 पेश की गई थी। इस प्रकार राजस्व अभिलेख में रेस्पोडेन्ट मोहनलाल उक्त आराजी खसरा नम्बर–141 का खातेदार व काबिज व्यक्ति है। इस भूमि के आसपास भी खसरा नम्बर–140, 145, 143 व 144 की खातेदारी की भूमि स्थित है। वादी अनुसूचित जाति का व्यक्ति है परन्तु अपीलान्ट/प्रतिवादी वादी के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी कर परेशान करता रहता है इसलिए रेस्पोडेन्ट/वादी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वाद पेश किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट/प्रतिवादी के द्वारा जवाब पेश कर मुख्य रूप से जाहिर किया कि उक्त आराजी सेटलमेन्ट के पूर्व प्रतिवादी कल्लू के पिता के खाते की थी जिस पर आज भी कब्जा बना हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा विवादित मामले में दावा व जवाब दावे के आधार पर 4 तनकी कायम की गई। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा चारों तनकियात का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड व साक्ष्य का उचित अवलोकन करते हुऐ प्रत्येक तनकी का अलग–अलग निर्णय कर तनकी क्रम–1 व 2 वादी के पक्ष में निर्णित की एवं तनकी नं.–3 व 4 प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित की और यह माना कि साक्ष्य एवं रिकार्ड के आधार पर खसरा नम्बर–141 की 1 बीघा 2 बिस्वा भूमि वादी के कब्जे काश्त की है जिस पर वादी का कब्जा चला आ रहा है। प्रतिवादी के द्वारा उक्त भूमि अपनी होना बताया परन्तु प्रतिवादी के द्वारा कोई राजस्व रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया और वादी की इस भूमि के आसपास प्रतिवादी की खातेदारी की कोई भूमि नहीं है और अपीलान्ट का वाद डिक्री कर दिया। जिसमें कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त आराजी चून्या कबाड़ी खातेदार के वारिसान पुत्र बजरंगा वगैरह ने रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी मोहनलाल को दिनांक 19.07.2003 को पंजीकृत विक्रय पत्र के द्वारा उक्त आराजी खसरा नम्बर–141 व अन्य खसरा नम्बर का बेचान कर कब्जा दे दिया इसी आधार पर रेस्पोडेन्ट मोहनलाल का उक्त आराजी में नाम दर्ज हुआ गलत साबित करने की जिम्मेदारी अपीलान्ट/प्रतिवादी की थी जिसे राजस्व रिकोर्ड के द्वारा साबित नहीं किया गया।

अपीलान्ट कल्लू उर्फ मोहम्मद आबिद के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 09.02.2016 को अपने बयान प्रतिवादी की हैसियत से कराये उसमें जिरह में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उक्त आराजी मेरी खातेदारी की है जिसकी कोई नकल साक्ष्य पेश नहीं की। खसरा नम्बर–140 मेरे खाते में नहीं है। में खसरा नम्बर–141 पर कब्जा करना नहीं चाहता एवं खसरा नम्बर–141 की पैमायश हो जावे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार प्रतिवादी स्वयं सहमत था और इसी आधार पर तनकी

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

नम्बर–3 भी प्रतिवादी के विरूद्ध तय की गई। सहमति के आधार पर पारित डिक्री की अपील पोषनीय नही है इस संदर्भ में आरआरटी 2024 (1) पेज 589 पेश है।

वादी के द्वारा अपने जवाब दावे की प्लीडिंग व अपील मेमो से परे माननीय न्यायालय में जो दस्तावेज आदेश–41 नियम–27 के तहत पेश किए हैं, इन दस्तावेजों से रेस्पोडेन्ट क्रम–1/प्रतिवादी के टाइटल से सम्बंधित नहीं है। चूंकि यह दस्तावेज खसरा नम्बर–140 से सम्बंधित है एवं निर्णय की प्रति राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा दिनांक 20.02.1988 जो प्रस्तुत की गई है उसमें रेस्पोडेन्ट मोहनलाल पक्षकार नहीं है और यह खसरा नम्बर–141 से सम्बंधित नहीं है। ऐसी स्थिति प्रार्थना पत्र ऑर्डर–41 रूल–27 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत सभी दस्तावेज का उक्त खसरा नम्बर से सम्बंधित नहीं होने के कारण खारिज होने योग्य है एवं फौजदारी प्रकरण के दस्तावेज जो प्रस्तुत हुऐ हैं व अंतिम निर्णय नहीं है एवं राजस्व न्यायालय फौजदारी कार्यवाही मानने के लिए बाध्य नहीं है। राजस्व मामलों का निर्णय राजस्व अभिलेख से होना है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख से एवं साक्ष्य से पूर्णतया साबित है कि वाद में वर्णित आराजी खसरा नम्बर–141 की वादी की खातेदारी एवं कब्जे की है, प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट ऐसा कोई राजस्व अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय व माननीय न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर पाया जिससे कि उक्त आराजी प्रतिवादी के खातेदारी की हो। प्रतिवादी के द्वारा अपने अधिकारों की घोषणा बाबत् आज तक भी किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं करना यह साबित करता है कि प्रतिवादी का उक्त आराजी से कोई सम्बंध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलान्ट/प्रतिवादी की सहमति के आधार पर निर्णय व डिक्री जेर अपील पारित किया है जिसकी पालना हो चुकी है। प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट मोहनलाल जाति से चमार है जो अनुसूचित जाति का गरीब व्यक्ति जिसे अपीलान्ट द्वारा नाजायज परेशान किया जा रहा है। किसी भी कानून के तहत अनुसूचित जाति के व्यक्ति की खातेदारी व कब्जे की भूमि पर अन्य व्यक्ति को किसी भी तरह के कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ आदेश 41 नियम 27 सी पी सी के तहत दस्तावेज की प्रमाणित प्रति पेश की है। पेश किये गये दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पेश किये गये दस्तावेजात पूर्व में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर सलंग्न है। अतः उक्त दस्तावेजात को पुनः रेकार्ड पर लिया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सी पी सी खारिज किया जाता है।

हमने विद्धान अभिभाषकगण की उभयपक्षीय बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट क्र. 1 ने अंतर्गत धारा 89, 90, 183 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रतिवादी अपीलांट के विरूद्ध वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी अनुसूचित जाति का गरीब काश्तकार व्यक्ति है, जिसकी खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि आराजी कस्बा छबड़ा में खसरा नं. 141 रकबा 1.02 बीघा जमाबंदी संवत 2070–73 के अनुसार दर्ज रिकॉर्ड है। वादी की उक्त भूमियात के अलावा इसके आस–पास खसरा नं. 140, 145, 143 व 144 की भूमियात वादी के खातेदारी में स्थित है। इसके अलावा खसरा नं. 142 सरकारी भूमि है तथा

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

खसरा नं. 634 सरकारी भूमि आम रास्ता कडैयावन का स्थित है। वादी की भूमि खसरा नं. 141 के आस–पास प्रतिवादी की कोई भूमियात नहीं है। प्रतिवादी, वादी की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि खसरा नं. 141 में वादी के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करता है तथा वादी की भूमि पर जबरन काश्त करने का प्रयास कर रहा है। वादी रेस्पोडेंट नं. 1 द्वारा विवादित भूमि खसरा नं. 141 की पैमाईश कराकर पत्थरगढ़ी करवाने के साथ–साथ प्रतिवादी अपीलांट को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किये जाने का अनुतोष अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपने वाद में चाहा गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी रेस्पोडेंट नं. 1 द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र एवं प्रतिवादी अपीलांट के जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं राजस्व रिकार्ड के आधार पर विधिवत तनकीवार विश्लेषण करते हुए निर्णय पारित किया है। खसरा नं. 141 रकबा 1.02 बीघा विवादित आराजी नकल जमाबंदी ग्राम छबडा संवत् 2066–69 खाता सं. 242 के अनुसार वादी रेस्पोडेंट नं. 1 मोहनलाल पुत्र पांचूलाल, जाति चमार साकिन गोडियामेहर के खातेदारी में दर्ज होना साबित है। इसके विपरीत प्रतिवादी अपीलांट ने जवाबदावे में अंकित अपने इस कथन को सिद्ध करने के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय में एवं प्रस्तुत अपील के साथ पेश नहीं किया कि खसरा नं. 140 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा आराजी सेटलमेंट से पूर्व प्रतिवादी कल्लू के पिता के खाते व कब्जे काश्त में थी जिस पर कब्जा आज भी प्रतिवादी का सद्भाविक रूप से बना हुआ है। अपीलांट प्रतिवादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत फोटो प्रति नकल खतौनी रजिस्टर संवत् 2007 के अनुसार रसीद मोहम्मद बेटा शबराज मोहम्मद, जाति पठान वास गांव के खसरा नं 147/2, 589, 590/2, 591, 592, 593/1, 148/2 एवं 594 दर्ज है। प्रतिवादी अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है, जिससे खसरा नं. 140 रकबा 03 बीघा 12 बिस्वा आराजी सेटलमेंट से पूर्व प्रतिवादी अपीलांट के पिता के खातेदारी व कब्जे काश्त में दर्ज रही हो। प्रतिवादी अपीलांट द्वारा दौराने बहस कथन किया कि खसरा नं. 140 की 3 बीघा 12 बिस्वा आराजी पर वर्तमान में भी अपीलांट का कब्जा है परंतु अपने कब्जे की पुष्टि हेतु दस्तावेजी साक्ष्य यथा खसरा गिरदावरी आदि अपील के साथ प्रस्तुत नहीं किये हैं, जिससे कब्जे की पुष्टि होना नहीं पाया गया।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद में वादी रेस्पो. नं. 1 खसरा नं. 141 रकबा 1.02 बीघा आराजी को प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2070–73 के अनुसार अपने खाते दर्ज रिकॉर्ड होना साबित करने में सफल रहा। इसके विपरीत प्रतिवादी खसरा नं. 140 की 03 बीघा 12 बिस्वा आराजी सेटलमेंट पूर्व अपने पिता काले खां के नाम दर्ज होना दस्तावेजी साक्ष्य राजस्व रिकॉर्ड से साबित नहीं कर पाया इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.07.2019 से वादी का वाद स्वीकार कर यह निर्णय पारित किया कि प्रतिवादी की वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि के पास कोई भूमि नहीं है। प्रतिवादी, वादी की भूमि पर जबरन कब्जा कर बेदखल करना चाहता है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आराजी वाके ग्राम छबड़ा की भूमि खसरा नं. 141 रकबा 1.02 बीघा की टीम गठित कर पैमाईश एवं पत्थरगढ़ी कराने हेतु तहसीलदार छबड़ा को आदेश दिये जाते हैं। प्रतिवादी को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त आराजी पर किसी प्रकार की बाधा न स्वयं करें और ना ही अपने प्रतिनिधियों से करावे।

अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय एवं डिक्री की पालना में तहसीलदार छबड़ा द्वारा गठित संयुक्त सर्वे टीम द्वारा दिनांक 10.06.2020 को वादी एवं प्रतिवादी की उपस्थिति में खसरा नं. 141 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा की चतुर्थ सीमाओं का सीमाज्ञान कराया जाकर वादी मोहनलाल को खसरा नं. 141 के चारों बिन्दु चिन्हित कर मौके पर निशानात कर बताये जा चुके हैं। मौका रिपोर्ट पर प्रतिवादी के हस्ताक्षर अंकित है। संयुक्त सर्वे टीम द्वारा प्रस्तुत उक्त आशय की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है।

विचाराधीन अपील में अपीलांट का यह कथन है कि खसरा नं. 141 की कोई आराजी काश्त योग्य नहीं रही है बल्कि खातेदार रेस्पोडेंट नं. 1 ने प्लॉट काटकर विक्रय कर दी है जहाँ मकानात बने हुए है, परंतु इससे यह साबित नहीं होता कि वादी रेस्पोडेंट नं. 1 खसरा नं. 141 की आराजी का खातेदार नहीं है और ना ही यह साबित होता है कि खसरा नं. 140 की भूमि सेटलमेंट से पूर्व अपीलांट प्रतिवादी के पिता कालेखाँ के खाते दर्ज थी और आज भी खसरा नं. 140 की भूमि पर प्रतिवादी अपीलांट का कब्जा काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.07.2019 की पालना में संयुक्त सर्वे टीम द्वारा खसरा नं. 141 की चतुर्थ सीमाओं का सीमाज्ञान करवाया जाकर वादी रेस्पोडेंट नं. 1 को खसरा नं. 141 के चारों बिन्दुओं को चिन्हित कर मौके पर निशानात लगाकर बनाये जा चुके है। इस रिपोर्ट पर प्रतिवादी अपीलांट के हस्ताक्षर दर्ज है जिससे यही स्पष्ट होता है कि सीमाज्ञान रिपोर्ट प्रतिवादी अपीलांट की उपस्थिति में तैयार की गई है। इसी प्रकार वादी रेस्पोडेंट नं. 1 मोहनलाल पुत्र पांचूलाल, जाति चमार अनुसूचित जाति (sc) के अंतर्गत आता है। अनुसूचित जाति के व्यक्ति की खातेदारी भूमि पर किसी अन्य संवर्ग के व्यक्ति को कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा–42 के प्रावधानों के विपरीत होने से अपील के इस स्तर पर हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.07.2019 में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.07.2019 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

17/12/2024

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix G'9)
अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

कल्लू उर्फ मोहम्मद आबिद पुत्र काले खां, जाति मुसलमान, निवासी टीचर कॉलोनी, हनुमान मंदिर के पास, छबडा, तहसील छबडा, जिला बारां (राज0)

बनाम

1– मोहनलाल पुत्र पांचूलाल, जाति चमार, निवासी गोडियामेर, तहसील छबडा, जिला बारां (राज0)
2– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा

.... अपीलांट

.... रेस्पोडेंट

अपील नं **2019/00285 (144/2019)** एवं नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, छबडा**
मु.द.नं0 **123/2014** निर्णय व डिक्री दिनांक – **17.07.2019**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **19 माह 11** सन् **2024**

श्री **महेन्द्र कुमार जैन** अभिभाषक अपीलांट की ओर से, श्री **चन्द्र प्रकाश खण्डेलवाल** अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.07.2019 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **17 माह 12 सन् 2024** को जारी किया गया ।

मोहर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)